

राजस्थान सरकार
कार्यालय संभागीय आयुक्त एवं पदेन आयुक्त, क्षेत्रीय विकास, बीकानेर।

क्रमांक :- प.17(3955) आक्षेपि/रेगु/2018/ 582-85

दिनांक : 9/5/2018

मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन (उत्तर) हनुमानगढ़ जं.। 8890234807	मुख्य अभियन्ता, इन्दिरा गांधी नहर परियोजना, बीकानेर 9116158111	अति. मुख्य अभियन्ता इन्दिरा गांधी नहर परियोजना, जैसलमेर 9413315069	अति. मुख्य अभियन्ता सत. एवं रेगुलेशन, इंगानप, बीकानेर 9799776677
--	---	---	---


विषय : इन्दिरा गांधी नहर परियोजना की नहरों को दिनांक 10.05.18 प्रातः 6.00 बजे से दिनांक 21.05.2018 प्रातः 6.00 बजे तक पीने हेतु पानी चलाये जाने का चक्रीय कार्यक्रम।

प्रसंग : मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन (उत्तर) हनुमानगढ़ का पत्रांक : एफ. 4/रेगु/14-बी/सीएचडी/436 दिनांक 09.05.2018.

महोदय,

- मुख्य अभियन्ता जल संसाधन (उत्तर) हनुमानगढ़ के प्रासांगिक पत्र द्वारा प्रस्तुत चक्रीय कार्यक्रम जिसके अन्तर्गत इंगानप की नहरों को दिनांक 10.05.18 प्रातः 6.00 बजे से दिनांक 21.05.2018 प्रातः 6.00 बजे तक पीने हेतु पानी चलाये जाने का चक्रीय कार्यक्रम के प्रस्ताव पर मुख्य अभियन्ता, इंगानप, बीकानेर एवं अति. मुख्य अभियन्ता इंगानप, जैसलमेर से प्राप्त सहमति के आधार पर एतद् द्वारा अनुमोदन किया जाता है।
- इन्दिरा गांधी नहर परियोजना की नहरों को चलाने हेतु अनिवार्य आवश्यकता का विवरण परिशिष्ट "अ" एवं चक्रीय कार्यक्रम परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है। अनुमोदित चक्रीय कार्यक्रम में किसी भी स्तर पर कोई भी परिवर्तन अधोहस्ताक्षरकर्ता की पूर्व अनुमति बिना नहीं किया जावेगा।
- इन्दिरा गांधी फीडर एवं इन्दिरा गांधी मुख्य नहर तथा इनसे निकलने वाली समस्त नहरों के हैड रेगुलेटरों पर निर्धारित मात्रानुसार पानी उपलब्ध करवाने का उत्तरदायित्व अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, सतर्कता एवं रेगुलेशन इंगानप, बीकानेर का होगा।
- इन्दिरा गांधी नहर परियोजना जैसलमेर संभाग में बुर्जी 1254 मुख्य नहर के नीचे पूर्व में चल रही प्रभावी गोल बारी प्रणाली यथावत रहेगी व अपने-अपने कार्यक्षेत्र में पीने हेतु पानी चलाये जाने का नहरवार कार्यक्रम संबंधित मुख्य अभियन्ता द्वारा अपने स्तर पर किया जावेगा।
- जारी चक्रीय कार्यक्रम में पेयजल व्यवस्था के लिए जिला कलेक्टर द्वारा पानी वितरण की प्रभावी मॉनिटरिंग हेतु गठित टास्क फोर्स की क्रियान्विति के लिए, प्रत्येक समय अपने मोबाइल पर उपलब्ध रहेंगे ताकि नहर में पानी वितरण के संबंध में अद्यतन जानकारी प्राप्त हो सके। अधिशासी अभियन्ता स्तर पर नियंत्रण कक्ष स्थापित किये जाने के संबंध में आदेश क्रमांक प.9()संआबी/काव्य/रबी फसल/16/613 दिनांक 10.10.16 प्रसारित किये जा चुके हैं, जिसकी पालना करने का उत्तरदायित्व संबंधित अधिशासी अभियन्ता का होगा।
- संबंधित मुख्य अभियन्ता, जल वितरण से संबंधित अधिकारी, जल उपयोक्ता संगम, कृषि विभाग के अधिकारी एवं जन संपर्क अधिकारी इस चक्रीय कार्यक्रम का जन साधारण की जानकारी हेतु व्यापक प्रचार प्रसार करेंगे।
- पेय जल वितरण हेतु धरना, प्रदर्शन की सूचना किसी भी स्रोत से प्राप्त होने पर संबंधित अधिशासी अभियन्ता द्वारा जिला कलेक्टर को दूरभाष पर अवगत करवाते हुए मौके पर पहुंच कर क्षेत्रीय राजस्व अधिकारियों (यथा उपखंड अधिकारी, तहसीलदार आदि) एवं पुलिस अधिकारियों (यथा वृत्ताधिकारी/ थानाधिकारी पुलिस) के साथ काश्तकारों से सीधा संवाद कर स्थिति स्पष्ट करने के लिए उत्तरदायी होंगे।
- आगामी चक्रीय कार्यक्रम समय पर जारी करने के लिए सिंचाई हेतु जल उपलब्धता की समीक्षा की जाकर नहरों में पानी चलाये जाने के चक्रीय कार्यक्रम के प्रस्ताव समय पर प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।


भवदीय,

संभागीय आयुक्त,
एवं पदेन आयुक्त,
क्षेत्रीय विकास, इंगानप,
बीकानेर।

परिशिष्ट "अ"

इन्दिरा गांधी नहर परियोजना की नहरों को दिनांक 10.05.18 प्रातः 6.00 बजे से दिनांक 21.05.2018 प्रातः 6.00 बजे तक अनिवार्य आवश्यकता

(सभी मात्राएं क्यू में)
अनिवार्य आवश्यकता

क्र.सं.	नहरें	मात्रा क्यूसेक में
1	रावतसर शाखा के माध्यम से पीने का पानी	55
2	सूरतगढ़ ताप बिजलीघर के लिए	75
3 (i)	कंवरसैन जलोत्थान नहर	148
3(ii)	सूरसागर झील बीकानेर शहर में भण्डारण हेतु	02
4	साहवा जलोत्थान नहर	113.84
5	पीने का पानी बीकानेर शहर के लिए शोभासर जलाशय के माध्यम से	76
6	बरसिंहसर थर्मल प्लांट	25
7	नागौर लिफ्ट के लिए पीने का पानी	70
8	मैसर्स वी.एस. लिग्नाईट पावर प्रोजेक्ट प्रा.लि. गुढा	5
9	पीने का पानी जोधपुर लिफ्ट	240
10	सोलर पॉवर प्रोजेक्ट मैसर्स गोदावरी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड	1.60
11	पोकरण फलसूण्ड पेयजल योजना	30
12	जैसलमेर संभाग के ग्रामीण क्षेत्र हेतु पेयजल	70
13	जैसलमेर शहर के लिए पेयजल	30
14	रामगढ़ गैस विद्युत परियोजना	25
15	गिराल परियोजना हेतु	24
16	राजवेस्ट परियोजना हेतु	40
17	बाडमेर लिफ्ट परियोजना हेतु	50
	योग	1080.44


संभागीय आयुक्त
एवं पदेन आयुक्त,
क्षेत्रीय विकास, इंगानप,
बीकानेर।


परिशिष्ट "ब"

मुख्य अभियन्ता-वार दिनांक 10.05.18 प्रातः 6.00 बजे से दिनांक 21.05.2018 प्रातः 6.00 बजे तक अनिवार्य आवश्यकता एवं लोसेज के उपरांत शेष उपलब्ध 2869.56 क्युसेक पीने हेतु पानी निम्न प्रकार से चलाया जायेगा।

(समय इंगानप की बुर्जी 620 के अधार पर)

समय : इंदिरा गांधी मुख्य नहर की आरडी 620 पर					
दिनांक	इंगानप हेतु आवंटित पानी की मात्रा	अनिवार्य आवश्यकता	इ.गा.मु.न. की आरडी 0 से 620 तक की नहरों के लिए उपयोग में ली जाने वाली पानी की मात्रा	इ.गा.मु.न. की आरडी 620 से 1254 तक की नहरों के लिए उपयोग में ली जाने वाली पानी की मात्रा	इ.गा.मु.न. की आरडी 1254 से टेल तक की नहरों के लिए उपयोग में ली जाने वाली पानी की मात्रा
10.05.2018 गुरुवार (प्रातः 6.00 बजे) से 21.05.2018 सोमवार प्रातः 6.00 बजे) तक	5500 क्यू.	1080 क्यू.	1555 क्यू.	779.56 क्यू.	535 क्यू.


नोट :- अपने-अपने कार्यक्षेत्र में पीने हेतु पानी चलाये जाने का नहरवार कार्यक्रम संबंधित मुख्य अभियन्ता द्वारा अपने स्तर पर जारी किया जाना सुनिश्चित करें।



संभागीय आयुक्त
एवं पदेन आयुक्त,
क्षेत्रीय विकास, इंगानप,
बीकानेर।

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. विशेषाधिकारी(एस)मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री कार्यालय राजस्थान, जयपुर।
2. प्रमुख शासन सचिव, जल संसाधन, सिंचित क्षेत्र विकास एवं जल उपयोगिता विभाग, राज. जयपुर।
3. निजी सहायक, माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग, जयपुर।
4. अध्यक्ष, इन्दिरा गांधी नहर मण्डल, जयपुर।
5. संभागीय आयुक्त, बीकानेर/जोधपुर।
6. जिला कलेक्टर, बीकानेर/श्रीगंगानगर/जैसलमेर/हनुमानगढ़/चुरू/जोधपुर/नागौर/बाड़मेर।
7. जिला पुलिस अधीक्षक, बीकानेर/श्रीगंगानगर/जैसलमेर/हनुमानगढ़/चुरू/जोधपुर/नागौर/बाड़मेर।
8. मुख्य अभियन्ता परियोजना, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जोधपुर।
9. अति. मुख्य अभियन्ता, परियोजना-II, जन स्वा. अभि. विभाग, चुरू।
10. अति. मुख्य अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभि. विभाग, बीकानेर।
11. अति. मुख्य अभियन्ता, परियोजना, जन स्वास्थ्य अभि. विभाग, चुरू।
12. अधीक्षण अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभि विभाग, नागौर लिफ्ट परियोजना वृत्त, नागौर।
13. अधीक्षण अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभि विभाग, बाड़मेर लिफ्ट परियोजना वृत्त, बाड़मेर।
14. उपखण्डअधिकारी, बीकानेर/खाजूवाला/लूणकरणसर/पूगल/छत्तरगढ़/कोलायत/अनूपगढ़/भादरा/चुरू/श्रीगंगानगर/श्रीविजयनगर/घड़साना/सूरतगढ़/हनुमानगढ़/नोहर/पीलीबंगा/रावतसर/सरदारशहर/तारानगर/फलौदी/जैसलमेर/पोकरण।
15. संयुक्त निदेशक कृषि, बीकानेर/श्रीगंगानगर।
16. उप निदेशक, कृषि एवं भू-सर्वेक्षण, बीकानेर।
17. उप निदेशक, कृषि विस्तार, सीएडी, इंगानप, बीकानेर।
18. जन संपर्क अधिकारी, बीकानेर/श्रीगंगानगर/हनुमानगढ़/चुरू/जैसलमेर को भेजकर लेख है कि उपरोक्त कार्यक्रम का प्रमुख समाचार पत्रों में जन साधारण की जानकारी हेतु जनहित में प्रकाशित करवाकर समुचित प्रचार प्रसार करावें।
19. नोडल अधिकारी, सीएडी वेबसाईट, बीकानेर को भेजकर लेख है कि उक्त चक्रीय कार्यक्रम को सीएडी की वेबसाईट पर अपलोड करने के साथ-साथ उक्त अधिकारियों को ई-मेल करना सुनिश्चित करें।
20. निजी सचिव कृते आयुक्त क्षेत्रीय विकास, इंगानप, बीकानेर।


अतिरिक्त आयुक्त,
बीकानेर।